सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 04, शुक्रवार, *शाके* 1945-फरवरी 23, 2024 *Phalguna 04 Friday , Saka 1945- February 23 , 2024*	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कार्यालय सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं नि.) अजमेर

अधिसूचना

अजमेर, फरवरी 20, 2024

संख्या प्रे 1316: भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु.164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (केन्द्रीय अधि.13/1885) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.02.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ. 408 पृष्ठ 393 (13) भाग 4 (जी ए) तदोपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 15 (4) ऊर्जा/ 2017 दिनांक 03.10.2017 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 को प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं. नि.) रा रा वि प्र नि लि अजमेर / जयपुर / जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से बिजली की लाइनों या बिजली संयत्रों को खडा करने के लिए मार्ग-अधिकार अथार्त राइट ऑफ़ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी बिजली की आपूर्ति हेतु **१३२ के वि ग्रिड सब स्टेशन रीको ग्रोथ सेंटर हमीरगढ़, से मैसर्स चारभुजा प्रोडक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हेतु 132 के वि एकल परिपथीय लाइन** के निर्माण के लिए मार्ग-अधिकार अर्थात् **राइट आफ वे** की उपयुक्त मंजूरी जारी करते है। उक्त द्विपथीय लाईन निम्नलिखित गांवो की सीमा/राजस्व क्षेत्र के भीतर से गुजरेगी।

क्रम संख्या	गांव के नाम
1	बिलियाकलां
2	स्वरूपगंज

सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि, अजमेर।

360

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।